(16)

न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

I/निगरानी/दतिया/भू.रा/2017/4278

प्र.क. /2017 निगरानी

घनश्याम सिंह यादव पुत्र सरमन यादव
निवासी ग्राम महेवा तहसील बड़ौनी
जिला दतिया म.प्र.

———आवेदक

S.P. Dhakad, Ad.
द्वारा आज दि.03-11-2017 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-11-17

पं0 दि0 15-11-17

3-11-17

बनाम

1. मोहनपाल पुत्र लालू पाल
2. भागीरथ पुत्र लालू पाल
3. मुस0 गोमती वेवा लालू पाल
4. बतीबाई
5. शीलाबाई } पुत्रीयां लालू पाल
6. कमलाबाई

निवासी ग्राम महेवा तहसील बड़ौनी
जिला दतिया म.प्र.

———अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय तहसीलदार बड़ौनी जिला दतिया के प्रक. 03/अ–27/2016–17/अपील में पारित आदेश दिनांक 30.10.2017 के विरुद्ध निगरानी समयावधि में प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

निगरानी के संक्षेप में तथ्य :—

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्राकर है कि, आवेदक ने अपने स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क. 442 रकवा 0.37 हें. में से रकवा 0.05 हें. को जर्ये रजि. विकय पत्र विकय की गई थी।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/दतिया/भू.रा./2017/4278

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11.4/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर, जिला दतिया के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>कलेक्टर जिला दतिया</u>**	